वकील उभयपक्ष उप० बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र T.I. सुनी गई। वकील सायल का कथन है कि विवादित भूमि पूर्व में सायलान के पिता भोरया एवं गैरसायल नं० 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। विवादित भूमि के हिस्से 1/2 पर वे दिनांक 07.06.94 को हुए राजीनामा अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती व विभाजन का दावा विचाराधीन है। गैरसायल द्वारा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न की जा रही है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। जबकि वकील गैरसायल नं० 1 का कथन है कि विवादित भूमि का गैरसायल खातेदार काश्तकार है। दिनांक 07.06.94 का राजीनामा कानूनन विधि विरुद्ध होने के कारण नल एण्ड

P.T.O.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में
	वोइड है। भूमि मुतदाविया पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं रहा है, ना ही एडवर्स पजेशन रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र TI खारिज किया जावे।	
	बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि मुतदाविया के संबंध में ही न्यायालय हाजा में विचाराधीन एक अन्य प्रकरण प्रार्थना पत्र TI संख्या-48/11 उनवानी श्रीनारायण बनाम धर्मसिंह में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए उभयपक्षकारान को ताफैसला दावा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वाद की बहुलता न हो एवं किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित न हो इसलिए प्रकरणाधीन भूमि के संबंध में भी उभयपक्षकारान को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखने हेतु TI से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
	अतः उक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला दावा भूमि ख० नं० 239 रकबा 0.10 हे०, 240 रकबा 0.24 हे०, 241 रकबा 0.15 हे०, 242 रकबा 0.12 हे०, 316 रकबा 0.86 हे०, 319 रकबा 0.08 हे०, 344 रकबा 1.16 हे०, 345 रकबा 0.96 हे० ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बीरकु के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।	
	पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।	
	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर...	